

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 47/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 05.10.2020

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अधिसूचना सं. 43/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 10.09.2020, का.आ. 3125 (अ) दिनांक 14.09.2020 द्वारा प्रकाशित के साथ पठनीय, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम सं.4 और 5 के स्तंभ सं.3 और 4 में मौजूद प्रविष्टियों को "फ़ा. सं. DRI/CZU/VIII/48/Enq-1/Int-10/2019 दिनांक 10.08.2020, दिनांक 14.09.2020 के शुद्धिपत्र सह दूसरे पूरक कारण बताओ नोटिस के साथ पठनीय", "संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई" और "DRI/CZU/VIII/48/Enq-1/Int-8/2019 दिनांक 28.07.2020 दिनांक 14.09.2020 के शुद्धिपत्र सह दूसरे पूरक कारण बताओ नोटिस के साथ पठनीय", "संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई" से क्रमश प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फ़ा.सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-26/2020]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)

संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्वयतन हेतु प्रेषित

1. अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, कमरा सं. 214, नवीन कस्टम हाउस, आईजीआई एयरपोर्ट के निकट, नई दिल्ली-110037
2. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई।
3. अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, चेन्नई को इस अनुरोध के साथ कि नोटिसियों को इस अधिसूचना के संदर्भ में सूचित करें।